हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

ईमेल / Email : affiliationsectionhnbgu@gmail.com

पत्रांक : हे०न०ब०ग०वि०वि० / मान्यता / 2024 / 70 दिनांक 09/04/2024

सेवा में,

प्राचार्य / निदेशक / सचिव
राठ महाविद्यालय पैठाणी,
पो0ओ0–पैठाणी, पट्टी–कण्डारस्यूं
जिला पौडी गढवाल।

विषयः– सत्र 2023–24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक **सत्र 2023–24** के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु विश्वविद्यालय सम्बद्धता पोर्टल पर आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित औचक निरीक्षण समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.12.2023 एवं सम्बद्धता मानकों की पूर्ति हेतु आपके द्वारा निरीक्षण समिति को उपलब्ध कराये गये 31 बिन्दुओं के शपथ–पत्र, निरीक्षण समिति द्वारा कालेज / संस्थान में अंकित की गयी कमियों / सुझावों की पूर्ति हेतु प्रेषित आपके पत्र संख्या–आरएमवी / 2250 दिनांक 27.02.2024 तथा विश्वविद्यालय सम्बद्धता स्टैडिंग समिति की अनुशंसा दिनांक 22.03.2024 के आलोक में विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति महोदया द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के परिनियम की धारा 11(3) में निहित अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4 (f) एवं 46 (2) में वर्णित प्राविधानों के राठ महाविद्यालय पैठाणी, जिला पौडी गढवाल में पूर्व से संचालित बी0एड0 पाठ्यक्रम में 50 सीट के साथ **सत्र 2023–24** में संचालन हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति, निरीक्षण समिति द्वारा अंकित निम्न वर्णित कमियों / सुझावों के निस्तारण के प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है किः–

The inspection Committee recommends that remaining are (1) H.O.D. and 01 more Faculty for (50 seats) B.Ed course should be appointed before commencement of the session 2023-24 and all teachers should be paid salary as per U.G.C. Scale.

अन्य प्रतिबन्ध निम्नवत होंगेः–

1. संस्थान द्वारा उक्त सम्बद्ध पाठ्यकमों के संचालन हेतु यू0जी0सी0 / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक व अन्य अर्हता धारक शिक्षकों की नियुक्ति करनी अनिवार्य है, जिनको यू0जी0सी0 / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वेतन देय होगा।
2. संस्थान द्वारा उक्तानुरूप नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सम्बन्धित के बैंक खातों में करते हुए आयकर निर्धारण हेतु नियमानुसार फार्म–16 जारी किया जाना अनिवार्य होगा। वेतन भुगतान की प्रति तिमाही सूचना तथा जारी फार्म–16 की सत्यापित प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध करावायी जानी होगी।
3. संस्थान द्वारा हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु चिन्हित / निर्धारित परिसर में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के सम्बद्ध पाठ्यकमों / दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्रो का संचालन नहीं किया जायेगा।
4. संस्थान द्वारा सम्बद्ध पाठ्यकमों में प्रवेशार्थियों को नियमानुसार भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रदान करते हुए प्रवेश की तत्सम्बन्धी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवायी जानी अनिवार्य है।
5. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा संस्थान से वांछित समस्त सूचनाओं / दस्तावेजों को निर्धारित समयान्र्तगत उपलब्ध करवाया जाना होगा।
6. संस्थान को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा–निर्देशों का समयबद्व अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

उक्तानुसार **सत्र 2023–24** हेतु निर्गत इस अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण आदेश में उल्लिखित कमियों / सुझावों / प्रतिबन्धों की कार्यपूर्णता अनुपालन आख्या सम्बन्धित सत्यापित अभिलेखों सहित आवश्यक रूप से इस आदेश निर्गत तिथि से पन्द्रह (15) कार्यदिवस अर्न्तगत विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में संस्थान की अग्रेत्तर सम्बद्वता / असम्बद्वता के विषय में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही व्यवहृत की जायेगी।

आज्ञा से
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक, हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
2. निदेशक, आई0क्यू0ए0सी0 हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
3. सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष, हे0नं0ब0ग0 विश्वविद्यालय।
4. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदया के सादर सूचनार्थ।
5. निजी सचिव प्रति कुलपति, माननीय प्रति कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
6. निजी सचिव कुलसचिव / वित्तअधिकारी, कुलसचिव / वित्तअधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
7. कार्यालय प्रति।

डॉ0(संजय कुमार ध्यानी)
उप कुलसचिव (मान्यता)